कार्यालय नगर विकास न्यास अलवर

www.urban.rajasthan.gov.in/uitalwar

क्रमांक : यूआईटी / आवंटन / 2024 /   दिनांकः–

कार्यालय आदेश

न्यास द्वारा अध्यक्ष, लाला चतरूराम चैरिट्रेबल एण्ड रिलीजियस ट्रस्ट तिजारा रोड, अलवर को बुध विहार योजना में बालिका माध्यमिक विद्यालय हेतु कुल 15248.49 वर्गमीटर की भूमि 99 वर्षीय लीज होल्ड बेसिस पर दिनांक 22.02.2003 आवंटित की गयी। तत्पश्चात न्यास के आदेश / पत्र दिनांक 07.03.2003 से उक्त भूमि / भूखण्ड का क्षेत्रफल 15000 वर्गमीटर संशोधित करते हुये आरक्षित दर का 10 प्रतिशत की दर से कुल 11,25,000 / –रु0 मे भूमि आवंटित की गयी। आवंटन–पत्र की शर्त सं. 8 के अनुसार आवंटित भूमि पर न्यास द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार आंवटन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा भूमि का आवंटन निरस्त कर कब्जा न्यास द्वारा ले लिया जावेगा, के संबंध में आवंटी संस्था पर शर्त अधिरोपित की गयी। न्यास द्वारा दिनांक 28.07.2003 को उक्त संस्था / ट्रस्ट को स्कूल / हॉस्टल / मिटिंग हॉल / गार्ड रूम व इलैक्ट्रिक रूम हेतु भूतल पर कुल 2168.14 वर्गमीटर, प्रथम तल पर 1801.14 वर्गमीटर, द्वितीय तल पर 1801.14 वर्गमीटर की भवन निर्माण स्वीकृति जारी की गयी।

राज0 नगरीय विकास न्यास (शहरी भूमि निस्तारण नियम) नियम 1974 का नियम 18-A "Allotment of undeveloped land to public, charitable and other institution" के संबंध में है। उक्त नियम 18-A(b)(i) के अनुसार आवंटन हेतु संस्था को Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965 या The Rajasthan Public Trust Act, 1959 के प्रावधानुसार पंजीबद्ध होना आवश्यक है। जबकि लाला चतरूराम चैरिट्रेबल एण्ड रिलीजियस ट्रस्ट का पंजीयन उक्त एक्ट के तहत नही हुआ है। लाला चतरूराम चैरिट्रेबल एण्ड रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा उक्त ट्रस्ट का पंजीयन दिनांक 13.01.1999 को उप पंजीयक अलवर से कराया गया है, जो कि उक्त विशेषतः नियमो के अनुरूप नही होने के कारण उपर्युक्त / विधिक नही माना जा सकता है।

प्रकरण में कनि0 अभि0 द्वारा की गई मौका रिपोर्ट अनुसार न्यास द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुसार स्कूल के लिऐ G.F. का स्वीकृत क्षेत्रफल 1470 वर्गमीटर है, परन्तु मौके पर स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल टी.एस. सर्वे के अनुसार लगभग 932.32 वर्गमीटर है एवं नक्शे मे स्वीकृत प्रथम तल First Floor एवं Second Floor मौके पर निर्मित नही है। उक्त भूखण्ड में नोर्थ ईस्ट कॉर्नर मे लगभग 23.7 वर्गमीटर का गॉर्ड रूम बना हुआ है। मौके पर स्वीकृत नक्शे में G.F. क्षेत्रफल की एवज मे लगभग 67 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल है। स्वीकृत नक्शे मे दर्शाये गये मिटिंग हॉल एवं हॉस्टल बिल्डिंग मौके पर उपलब्ध नही है।

अध्यक्ष लाला चतरूराम चैरिट्रेबल एण्ड रिलीजियस ट्रस्ट को न्यास के पत्र दिनांक 18.06.2024 को न्यास द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण स्वीकृति के अनुसार निर्धारित समयावधि में भवन निर्माण नही करने तथा ट्रस्ट का पंजीयन विशेषतः अधिनियमों मे विहित प्रावधानुसार नही होने के संबंध मे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। जिसके संबंध में अध्यक्ष लाला चतरूराम चैरिट्रेबल एण्ड रिलीजियस ट्रस्ट द्वारा दिनांक 28.06.2024 को जवाब प्रस्तुत करते हुये अभिकथन किया कि ट्रस्ट द्वारा वर्तमान मे मौके पर कुल 1649.36 वर्गमीटर भूमि पर नियमानुसार निर्माण किया हुआ है तथा The Rajasthan Public Trust Act, 1959 की धारा 17 के तहत [illegible] मे उक्त [illegible] को पंजीबद्ध कराने हेतु अस्टिेंट कमिश्नर जयपुर के यहां आवेदन कर दिया गया है। [illegible] द्वारा प्रेषित नोटिस के संबंध में उक्त ट्रस्ट / संस्था [illegible] प्रस्तुत [illegible] उत्तर / [illegible]षजनक नही है।

Signature valid
Digitally signed by Snehal Nana Dhayagude
Designation : Secretary
Date: 2024.08.17 11:16:24 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर विकास न्यास अलवर

www.urban.rajasthan.gov.in/uitalwar

राज0 नगरीय विकास न्यास (शहरी भूमि निस्तारण नियम) 1974 के नियम 18-A(b)(i) के अनुसार चैरिट्रेबल संस्थाओ को भूमि आवंटन हेतु उक्त संस्था को Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965 या The Rajasthan Public Trust Act, 1959 के तहत पंजीबद्व होना आवश्यक है। जबकि अध्यक्ष, श्री प्रदीप वतराना लाला चतरूराम चैरिट्रेबल एण्ड रिलीजियस ट्रस्ट ने उप पंजियक अलवर से ही उक्त संस्था को पंजीबद्व कराकर तथ्यो को छुपाते हुये मिथ्या व्यपदेशन कर न्यास से आवंटन पत्र प्राप्त किया गया है।

न्यास द्वारा दिनांक 28.07.2003 को उक्त संस्था/ट्रस्ट को स्कूल/हॉस्टल/मिटिंग हॉल/गार्ड रूम व इलैक्ट्रिक रूम हेतु भूतल पर कुल 2168.14 वर्गमीटर, प्रथम तल पर 1801.14 वर्गमीटर, द्वितीय तल पर 1801.14 वर्गमीटर की भवन निर्माण स्वीकृति जारी की गयी। कनि0 अभि0 की रिपोर्ट अनुसार मौके पर स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल टी.एस. सर्वे के अनुसार लगभग 932.32 वर्गमीटर है एवं नक्शे मे स्वीकृत प्रथम तल First Floor एवं Second Floor मौके पर निर्मित नही है। उक्त भूखण्ड में नोर्थ ईस्ट कॉर्नर मे लगभग 23.7 वर्गमीटर का गॉर्ड रूम बना हुआ है।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि आवंटी ट्रस्ट/संस्था द्वारा न्यास द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण स्वीकृति के अनुसार निर्धारित शर्तो/मापदण्डो के अनुरूप भवन निर्माण निर्धारित समयावधि में नहीं किया गया है, जो कि आवंटन–पत्र दिनांक 22.02.2003 की शर्त सं. 8 का स्पष्ट उल्लंघन है। दूसरी ओर उक्त आवंटी ट्रस्ट/संस्था राज0 नगरीय विकास न्यास (शहरी भूमि निस्तारण नियम), 1974 के नियम 18-A के अनुसार विशेषतः अधिनियमों में विहित प्रावधानुसार पंजीबद्व भी नही है।

अतः आंवटी संस्था/ट्रस्ट का पंजीयन विशेषतः अधिनियमों मे विहित प्रावधानुसार नही होने तथा आवंटन–पत्र की शर्त सं. 08 का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के कारण न्यास द्वारा उक्त भूमि/भूखण्ड का आवंटन एतद् द्वारा निरस्त किया जाकर कब्जा लिया जाता है। उक्त ट्रस्ट/संस्था को उनके द्वारा जमा की गई मूल राशि को लौटाने के भी आदेश एतद् द्वारा दिये जाते है।

सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर

कमांक/यूआईटी/आवंटन/2024/ 4770-74 **दिनांकः–** 17/8/24

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास एंव आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
02. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय नगर विकास न्यास, अलवर।
03. अध्यक्ष, लाला चतरूराम चैरिटेबल एण्ड रिलीजीयस ट्रस्ट, तिजारा रोड, अलवर।
04. वरिष्ठ लेखाधिकारी, न्यास अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त ट्रस्ट को मूल राशि लौटाने के सबंध मे अग्रिम कार्यवाही करें।
05. अधिशाषी अभियन्ता–तृतीय, न्यास अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त भूमि/भूखण्ड को न्यास के कब्जे में लेने के संबंध मे अग्रिम कार्यवाही करें।

RajKaj Ref
9844099

Signature valid
Digitally signed by Snehal Nana Dhaygude
Designation : Secretary
Date: 2024.08.17 ...:24 IST
Reason: Approved

सचिव
नगर विकास न्यास अलवर

Scanned with OKEN Scanner